न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 83/2022

अनवान : –

1. जोतराम पुत्र सांवताराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल 2 एच.एम.एच. सरेका झाम्बर पंचायत तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 4/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 159/156 की कुल 9.0050है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी की वल्दीयत का नाम जोतराम पुत्र सावंता है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम सांवताराम है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व पैन कार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी के पिता का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का सही नाम सांवताराम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 1441 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रार्थी के पिता का नाम सांवत की जगह सांवताराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता का [illegible] सांवताराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज के दौरान प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। [illegible] मुताबिक प्रार्थी के [illegible]जों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:37:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम सांवताराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 159/156 की कुल 9.0050है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपने पिता का नाम सांवत के स्थान पर सांवताराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का सही नाम सांवतराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम सांवत के स्थान पर सांवताराम नाम दुरूस्त करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 159/156 की कुल 9.0050है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी जोतराम पुत्र सांवत के स्थान पर सही नाम जोतराम पुत्र सांवताराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जोतराम पुत्र सांवत के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जोतराम पुत्र सांवत के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम जोतराम पुत्र सांवत ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested